न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।

परिवाद संख्या– 1618/2025

आशू यादव **–बनाम–** प्रियंकू

19.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर परिवादी उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते मीडिएशन आख्या हेतु नियत चल रही थी। पत्रावली दिनांक 24.09.2025 को मीडिएशन सेन्टर भेजी गयी थी, जिसकी आख्या पत्रावली पर दाखिल है। मीडिएशन सेन्टर की आख्या के अनुसार पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता हो चुका है। विगत कई तिथियों से परिवादी अपने वाद पर बल देने हेतु नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त मुकदमे में अब कोई रूचि नहीं ले रहा है और वह उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
J.O. Code UP 4823